न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 52/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
जामीन खां पुत्र मिसरी खां जाति मोयला कुम्हार निवासी लोलावा तहसील सिणधरी		राजस्थान राज्य जरिये 1.तहसीलदार,सिणधरी 2.नायब तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2017 बमुकदमा संख्या 12/2017 द्वारा नायब तहसीलदार,सिणधरी

उपस्थितिः–1.श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय दिनांक 11.04.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जीवराज गोलिया ने नायब तहसीलदार,सिणधरी के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलांट–जामीन खां ने सम्वत् 2074 में मौजा लोलावा के खसरा नम्बर 35 रकबा 0–06 बीघा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड बनाकर अतिक्रमण किया है। इस पर नायब तहसीलदार,सिणदरी ने प्रकरण संख्या 12/2017 दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07. 2017 द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, 50 रूपये जुर्माना आरोपित किया एंव एक माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने ने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस पर अपीलांट न्यायालय में उपस्थित होकर

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने बाबत जवाब दावा व दस्तावेज पेश करने

हेतु समय चाहा गया,,मगर अपीलांट को जवाब व दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उन्होनें तर्क दिया कि अपीलांट के खेत व सरकारी खेत के मध्य अपीलांट की तारबन्दी की हुई है। अपीलांट का सरकारी भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हैं। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट ने अतिक्रमण हटा दिया हैं,जुर्माना की राशि अदा कर दी गई है, अपीलांट एक गरीब काश्तकार है इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त कर सिविल कारावास की सजा माफ की जाए।

कार्यालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

4. इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि विवादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण की भूमि है है। अपीलांट ने गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर बाड़ा बनाकर कब्जा किया है। अपीलांट के नाम विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो सही एंव उचित है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एंव तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम लोलावा के खसरा नम्बर 35 रकबा 18–08 बीघा राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। इस तथ्य को अपीलांट स्वीकार करते है। अपीलांट ने इस गैर मुमकिन गोचर में से 0–06 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा बनाया है। अपीलाधीन पत्रावली, पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान अनुसार अपीलांट द्वारा इस भूमि पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 46/2016 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 06.10.2016 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एंव जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये थे। जिस पर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही की जाकर दिनांक 17.04.2017 को कब्जा बहक सरकार प्राप्त किया है। जिसकी बेदखली रिपोर्ट एंव फर्द कब्जा पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांट की इस प्रवृति को छुडाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने,जुर्माना आरोपित करने एंव सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह सही एंव न्यायोचित है जिसका हम समर्थन करते है। इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट एक गरीब काश्तकार है। अपीलांट ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व भूमि से कब्जा हटा दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाएं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अतिक्रमी ने मौके से कब्जा हटा लिया है। अतः अपीलांट ने भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है और अतिक्रमीत भूमि खाली एंव सरकारी कब्जे में है। लिहाजा अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए, सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर